



भारतीय रिज़र्व बैंक  
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : [www.rbi.org.in/hindi](http://www.rbi.org.in/hindi)

Website : [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

ई-मेल/email : [helpdoc@rbi.org.in](mailto:helpdoc@rbi.org.in)



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

13 जनवरी 2026

आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लाइसेंसीकरण संबंधी चर्चा पत्र पर जन - सामान्य से टिप्पणियां आमंत्रित की

दिनांक 1 अक्टूबर 2025 को गवर्नर के वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, रिज़र्व बैंक ने आज यूसीबी के लाइसेंसीकरण पर एक चर्चा पत्र प्रकाशित किया।

2. जनसामान्य/हितधारकों से 13 फरवरी 2026 तक टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं। टिप्पणियां रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध 'कनेक्ट 2 रेगुलेट' खंड के अंतर्गत दिए गए लिंक के माध्यम से भेजी जा सकती हैं। वैकल्पिक रूप से, टिप्पणियां/प्रतिक्रियाएं निम्नलिखित पते पर प्रेषित की जा सकती हैं:

मुख्य महाप्रबंधक  
भारतीय रिज़र्व बैंक  
विनियमन विभाग  
पंजीकरण और लाइसेंसीकरण अनुभाग (सहकारी बैंक)  
12वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय  
शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई – 400001

अथवा "यूसीबी के लाइसेंसीकरण संबंधी चर्चा पत्र पर प्रतिक्रिया" विषय के साथ ईमेल के माध्यम से भी प्रेषित की जा सकती हैं।

(ब्रिज राज)

मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1912